



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
गृह निर्माण अनुमति-पत्र

४

यह अनुमति केवल उम्प्र० नगर निवोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 त 15 के अन्तर्गत ही जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा कर्म के मालिकाना अधिकारी गर किसी का कोई असर पहुँच नहीं होगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिख्यत या स्वामित्व के अधिकारी के विराफ़ कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिवर्णनों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री कौशल एरेष्ट अग्रवाल

पिता/पति का नाम श्री लिलुक्ष्मा दास रामानन्द
मुहूर्त अष्टम ई ५०/५८ तिथि १५ जून २०११ वार्ष हार्द नवर
में नवशे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के पिछले भवन वित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनर्निर्माण होते हैं।

नोट :-

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पैंच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण रवैकृत गान्धीनियत के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनर्निर्माण होती है तो उसके निर्माणकारी को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटाया दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत कनवाने वाले से 10 प्रतिशत तंग्रह शुल्क के साथ तस्कुल किया जायेगा।


2. इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नली पर बढ़ा कर प्राजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, डारजा, तोड़या, सीढ़ी, झाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो उसके साथ नवशे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।


3. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी गांग (जो मकान के आगवाने पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्थानी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र करा तो पहले ही उसे अपने खरद से मरम्मत कराकर पूर्वक अवश्य जिससे विकास प्राधिकरण को सतोष हो जाय, में कर देगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी लॉन्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटाना सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान ठीं नींव तक तथा ऊ तक बन जाने तक उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

6. यदि निर्माण में मास्टर लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई रवैकृत रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनियकृत घोषित कर जह अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।





PROPOSED LAND SPACE / PARKING PLAN

FOR THE SCHOOL BUILDING OF VATSHISHTH (०

VATSAVIA PEMAY SCHOOL AT VADODARA

VATSALYA SCHOOL AT NAZUL

OWNER : DR. NIRAJ AGRAWAL 81-16730000 VANDA AGRAWAL

ARCHITECT-INTERIOR-DESIGNERS


338 - B- CIN LONEI GANJ ALLAHABAD

PHONE No.: 0622 2161078 00115214781

FILE NO. 40554-2461028, 09415215781

AREA STATEMENT

TOTAL AREA OF THE PLOT	= 1444.97 Sq.m.
ROAD WIDENING AREA	= 115.79 Sq.m.
FREE HOLD PLOT AREA	= 1326.17 Sq.m.
BASEMENT FLOOR PARKING AREA	= 332.24 Sq.m.
OPEN SPACE	= 975.94 Sq.m.
FLOOR AREA FOR RAIN WATER HARVESTING	= 462.19 Sq.m.



Sukhdev Jelota
B. Arch. M.C.A.
Regn. No. GA/82/1526